

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर
158/2020

तारीख दायर
11-09-2020

तारीख फैसला

17/05/2022

उनवान

01. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

---:: वादी

बनाम

01. महादेई पत्नी अमरसिंह
02. रिछपाल
03. राजपाल
04. सतबीर पुत्रान अमरसिंह जाति अहीर निवासीगण ग्राम नखडौला तहसील व जिला गुरुग्राम
05. धर्मसिंह
06. लक्ष्मीचन्द
07. अशोक कुमार पुत्रान मुन्शीराम जाति अहीर निवासीगण वजीराबाद तहसील व जिला गुरुग्राम
08. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

---:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

--:: निर्णय ::--

प्रकरण के सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 217 रकबा 0.05 है0, 219 रकबा 0.16 है0, 221 रकबा 0.21 है0, 223 रकबा 0.09 है0, 228 रकबा 0.09 है0, 230 रकबा 0.08 है0, 231 रकबा 0.37 है0, 232 रकबा 0.03 है0, 234 रकबा 0.08 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। योगेश शर्मा को विवादित आराजी के संबंध में पूर्ण जानकारी है व वादी कम्पनी की ओर से समस्त विधिक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। विवादित आराजी वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की संयुक्त कब्जे काश्त शामलात खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में वादी कम्पनी का 1/3 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा है, जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हो रहा है। जिस पर वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 मुताबिक अपने अपने भाग पर काबिज व दाखिल चले आ रहे हैं। रिकार्ड में शामलात राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 अपने अपने हिस्से के अनुरूप मौके पर उक्त आराजी पर काबिज एवं दाखिल है। किन्तु आज तक लिखित रूप में पक्षकारान के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ है और राजस्व रिकार्ड में शामलात में ही काबिज व दाखिल चले आ रहे हैं। हर इंच पर हर हिस्सेदार का हिस्सा है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 6, 7 की ओर से प्रदीप कुमार अधिवक्ता उपस्थित हुये को

Ghr

प्रदान करने पर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके उपरान्त जवाब बन्द किया गया। शेष अनुपायित इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 8 फोरमल पक्षकार है त निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया गया। वादी वकील ने वाद को प्रारम्भिक डिक्री किये निवेदन किया।


प्रकरण में दिनांक 09-12-2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार टपूकडा को मौका कमिश्नर किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुरे तलब की गई। चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2022/5025 दिनांक 04-04-2022 के द्वारा प्रकरण रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने गुताविक कुरे रिपोर्ट फाईनल डिक्री किये जाने हेतु निवेदन रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिक्री किया जाता है निम्नानुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 217 रकबा 0.05 है, 219 रकबा 0.16 है, 221 रकबा 0.21 है, 223 रकबा 0.09 है, 228 रकबा 0.09 है, 230 रकबा 0.08 है, 231 रकबा 0.37 है, 232 रकबा 0.03 है, 234 रकबा 0.08 है कुल किता 9 कुल रकबा 1.16 है वाके ग्राम गिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01.	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार जयें डायरेक्टर विपुल गोयल पुत्र रोहताश गोयल महाजन सा. 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार	228	0.09	वारानी 2	0.36
		230	0.08	वारानी 2	0.32
		231	0.21667	वारानी 2	0.2933
02.	अशोक कुमार धर्मसिंह लखमीचन्द पि० मुंशीराम हि० 1/2 अहीर सा. वजीरावाद खातेदार सतवीर राजपाल रिछपाल पि० अमरसिंह महादेई पत्नी अमरसिंह हि० 1/2 जाति अहीर सा. नखडोला खातेदार	217	0.05	वारानी 2	0.20
		219	0.16	वारानी 2	0.03
		221	0.21	वारानी 2	0.03
		223	0.09	वारानी 2	0.36
		232	0.03	वारानी 2	0.12
		234	0.08	वारानी 2	0.32
		231/1	0.15333	वारानी 2	0.1067

तकसीम शुद्धा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावे। पर्या डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।


 (महेन्द्र सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी,
 तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर
188/2020

तारीख दायर
11-09-2020
उनवान

तारीख फैसला

17/05/2022

1. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरेशकर शर्मा

बनाम

—:: वादी

01. महादेई पत्नी अमरसिंह
02. रिछपाल
03. राजपाल
04. सतवीर पुत्रान अमरसिंह जाति अहीर निवासीगण ग्राम नखडौला तहसील व जिला गुरुग्राम
05. धर्मसिंह
06. लखमीचन्द
07. अशोक कुमार पुत्रान मुन्शीराम जाति अहीर निवासीगण वजीराबाद तहसील व जिला गुरुग्राम
08. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

—:: प्रतिवादीगण


दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: पर्चा डिक्री ::—

हाल आराजी खसरा नम्बर 217 रकबा 0.05 है0, 219 रकबा 0.16 है0, 221 रकबा 0.21 है0, 223 रकबा 0.09 है0, 228 रकबा 0.09 है0, 230 रकबा 0.08 है0, 231 रकबा 0.37 है0, 232 रकबा 0.03 है0, 234 रकबा 0.08 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01.	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार जयें डायरेक्टर विपुल गोयल पुत्र रोहताश गोयल महाजन सा. 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार	228	0.09	बारानी 2	0.36
		230	0.08	बारानी 2	0.32
		231	0.21667	बारानी 2	0.2933
02.	अशोक कुमार धर्मसिंह लखमीचन्द पि0 मुंशीराम हि0 1/2 अहीर सा. वजीराबाद खातेदार सतवीर राजपाल रिछपाल पि0 अमरसिंह महादेई पत्नी अमरसिंह हि0 1/2 जाति अहीर सा. नखडौला खातेदार	217	0.05	बारानी 2	0.20
		219	0.16	बारानी 2	0.03
		221	0.21	बारानी 2	0.03
		223	0.09	बारानी 2	0.36
		232	0.03	बारानी 2	0.12
		234	0.08	बारानी 2	0.32
		231/1	0.15333	बारानी 2	0.1067

तकसीम शुद्धा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावे।


 (महेन्द्र सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी,
 तिजारा (अलवर)